



वश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार

प्रलिमिंस के लयि:

वैश्वकि कोवडि शखिर सम्मेलन, कोवडि-19, ट्रपिस, WHO ।

मेन्स के लयि:

वैश्वकि कोवडि शखिर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने [वश्व स्वास्थ्य संगठन \(WHO\)](#) के दूसरे वैश्वकि कोवडि वर्चुअल शखिर सम्मेलन को संबोधति कयि, जहाँ उन्होंने WHO से संबधति सुधारों पर ज़ोर दयि ।

- भारत सरकार ने इस वर्ष (2021-22) [G20](#) और [BRICS](#) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर WHO में सुधार की आवशयकता को बार-बार दोहराय है । WHO में सुधारों के लयि भारत के आह्वान का समर्थन [वशिष रूप से कोवडि-19 महामारी से प्रारभकि रूप से नपिटने](#) के बाद दुनयि भर के देशों द्वारा कयि गया है ।

भारत द्वारा सुझाए गए सुधार:

- अंतर्राष्ट्रीय चतिा संबंधी सार्वजनकि स्वास्थ्य आपातकाल' (Public Health Emergency of International Concern- PHEIC) घोषणा प्रकरयिा को सुदृढ बनाना:
 - [PHEIC](#) की घोषणा करने के लयि स्पष्ट मापदंडों के साथ वस्तुनषिठ मानदंड तैयार करने की आवशयता है ।
 - घोषणा प्रकरयिा में [पारदर्शतिा और तत्परता](#) पर ज़ोर दयिा जाना चाहयि ।
 - PHEIC का तात्परय एक ऐसी स्थतिा से है जो:
 - गंभीर, अचानक, असामान्य या अप्रत्याशतिा हो ।
 - प्रभावति राज्य की राष्ट्रीय सीमा से परे सार्वजनकि स्वास्थ्य के नहितिरथ हो ।
 - जसिमें तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवशयकता हो ।
- वतितपोषण:
 - वश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यक्रम संबंधी गतिविधियिों के लयि अधकिांश वतितपोषण [अतरिकित्त बजटीय](#) योगदान से आता है, जो सवैच्छकि प्रकृतिा के होते हैं और इन्हें सामान्य रूप से नरिधारति कयिा जाता है । WHO को इन फंडों के उपयोग में बहुत कम लचीलापन प्रापत है ।
 - यह सुनशिचति करने कयिा जाना चाहयि' कि [अतरिकित्त बजटीय या सवैच्छकि योगदान](#) की आवशयकता कहां सबसे अधकि है । WHO के पास उन कषेत्रों में इसके उपयोग के लयि आवशयक लचीलापन है ।
 - WHO के नयिमति बजट को बढ़ाने पर भी ध्यान देने की आवशयकता है ताकि [विकिसशील](#) देशों पर भारी वतिततीय बोझ आरोपति कयिा बिना WHO की अधकिांश मुख्य गतिविधियिों को इससे वतितपोषति कयिा जा सके ।
- वतितपोषण तंत्र और जवाबदेही ढाँचे की पारदर्शतिा सुनशिचति करना:
 - ऐसा कोई [सहयोगी तंत्र](#) नहीं है जसिमें सदस्य राज्यों के परामर्श से वास्तवकि परयोजनाओं और गतिविधियिों पर नरिणय लयिा जाता है तथा वतिततीय मूल्य एवं सदस्य राज्यों की प्राथमकिताओं के अनुसार परयोजनाएँ संचालति की जा रही हैं या उनमें हो रही असामान्य देरी के संबध में न ही कोई समीक्षा होती है ।
 - मज़बूत और सुरकषति वतिततीय जवाबदेही ढाँचे की स्थापना से वतिततीय प्रवाह में अखंडता बनाए रखने में मदद मलिंगी ।
 - बढी हुई जवाबदेही को देखते हुए डेटा रपिोर्टिंग और वतित के वतिरण के संबध में उचित पारदर्शतिा सुनशिचति कयिा जाने की भी आवशयकता है ।
- WHO और सदस्य राज्यों की प्रतकिरयिा कषमता में वृद्धि:
 - [IHR 2005](#) के कार्यानवयन ने सदस्य राज्यों के बुनयिादी स्वास्थ्य ढाँचे में महत्त्वपूर्ण कमयिों को उजागर कयिा है । यह कोवडि-19 महामारी से नपिटने में उनकी कषमता को देखते हुए और अधकि स्पष्ट हो गया है ।

- यह आवश्यक है कि WHO द्वारा अपने सामान्य कार्यों के तहत की जाने वाली कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों में IHR 2005 के तहत उन आवश्यक सदस्य राज्यों में क्षमता निर्माण को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जहाँ सदस्य राज्यों द्वारा की गई IHR 2005 पर स्व-रिपोर्टिंग के आधार पर कमी पाई जाती है।
- **WHO के प्रशासनिक ढाँचे में सुधार:**
 - एक तकनीकी संगठन होने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन में अधिकांश कार्य स्वतंत्र विशेषज्ञों से बनी तकनीकी समितियों द्वारा किये जाते हैं। साथ ही इसके अलावा बीमारी के प्रकोप से जुड़े बढ़ते जोखिमों को देखते हुए WHO स्वास्थ्य आपात स्थिति कार्यक्रम (WHE) के प्रदर्शन के लिये ज़िम्मेदार स्वतंत्र निरीक्षण और सलाहकार समिति (IOAC) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
 - WHO से मिलने वाली तकनीकी सलाह और सफ़ारिशों के आधार पर कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार राज्यों के लिये WHO के कामकाज में सदस्य राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
 - सदस्य राज्यों द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु कार्यकारी बोर्ड की स्थायी समिति जैसे विशिष्ट तंत्र को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- **IHR के कार्यान्वयन में सुधार:**
 - अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य वनियम (International Health Regulations- IHR) 2005 के तहत स्व-रिपोर्टिंग सदस्य राज्यों का एक दायित्व है। यद्यपि IHR के कार्यान्वयन की समीक्षा स्वैच्छिक है।
 - IHR (2005) एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय कानूनी समझौते का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें WHO के सभी सदस्य राज्यों सहित विश्व भर के 196 देश शामिल हैं।
 - इन वनियमों का उद्देश्य गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों (जिनमें एक देश से दूसरे देश में प्रसारित होने तथा मानव जाति के समक्ष जोखिम उत्पन्न करने की संभावना हो) को रोकने और उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मदद करना है।
 - IHR कार्यान्वयन की समीक्षा स्वैच्छिक आधार पर जारी रहनी चाहिये।
 - अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिये प्राथमिकताएँ निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को विकासी देशों के उन क्षेत्रों में सहायता हेतु निर्दिष्ट किया जाना चाहिये जिनकी पहचान IHR के कार्यान्वयन में आवश्यक क्षमता की कमी वाले क्षेत्र के रूप में की गई है।
- **चिकित्सीय सुविधाओं, टीके और नदिान तक पहुँच:**
 - यह महसूस किया गया है कि दोहा घोषणा के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये ट्रेडिप्स (TRIPS) समझौतों में प्रदान की गई छूट, कोवडि-19 महामारी जैसे संकटों से निपटने के लिये पर्याप्त नहीं हो सकती है।
 - कोवडि-19 महामारी का मुकाबला करने के लिये सभी साधनों तक उचित, वहनीय और समान पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है और इस प्रकार उनके आवंटन हेतु एक रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है।
- **संक्रामक रोगों और महामारी के प्रबंधन हेतु वैश्विक ढाँचे का निर्माण:**
 - यह आवश्यक हो गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य वनियमों, अवसंरचनात्मक तैयारी, मानव संसाधन और परीक्षण एवं निगरानी प्रणाली जैसी प्रासंगिक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं के संदर्भ में सदस्य राज्यों का समर्थन किया जाए तथा तथा इस संदर्भ में एक निगरानी तंत्र की स्थापना की जाए।
 - महामारी की संभावना वाले संक्रामक रोगों के लिये तैयारी और प्रतिक्रिया के संदर्भ में देशों की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिये, जिसमें प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्य आपात के लिये आर्थिक उपायों पर एक बहु-वर्षीय दृष्टिकोण (जिसमें स्वास्थ्य व प्राकृतिक विज्ञान के साथ-साथ सामाजिक विज्ञान भी शामिल है) का समावेश हो।
- **महामारी प्रबंधन हेतु वैश्विक भागीदारी की आवश्यकता:**
 - नए इन्फ़्लुएंज़ा विषाणुओं के कारण मानव जाति में रोगों के अत्यधिक प्रसार के जोखिम की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में वैश्विक समुदाय द्वारा तत्काल इस समस्या के समाधान हेतु साहसिक प्रयास किये जाने और हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में सतर्कता एवं तैयारियों सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।
 - वैश्विक महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया संबंधी क्षमता में सुधार तथा भविष्य में ऐसी किसी भी महामारी का सामना करने की हमारी क्षमता को मज़बूती प्रदान करना वैश्विक भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिये।

स्रोत: द हिंदू